कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12172/2021 घीसाराम चौधरी बनाम स्टेट व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 06.09.2021 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संबंध में देखा गया।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी का प्रथम पदस्थापन तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद पर वर्ष 1991–92 में एवं सीधी भर्ती से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर पदस्थापन वर्ष 1996–97 में किया गया था, उनके द्वारा प्रथम पदस्थापन के समय एम. ए. राज. विज्ञान की योग्यता वर्ष 1988 अर्जित की हुई थी तथा सेवा पुस्तिका में इन्द्राज थी, चूँकि याचिकार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर चयन तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर सेवारत रहते हुए हुआ था इस चयन में याची को तीन साल की सेवा के अनुभव के 5 अंक मिले थे तथा सेवा निरन्तर चल रही है। अतः इन्हें राजनीति विज्ञान की डीपीसी का लाभ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। अतः याचिकार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2021 के अनुसार द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद पर नियुक्ति के समय सेवा पुस्तिका में उल्लेखित एम.ए. राजनीति विज्ञान के आधार पर नियमानुसार प्राध्यापक(स्कुल शिक्षा) राजनीति विज्ञान तथा तदनुरूप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जावें। अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के याचिका में पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12172/2021 में आदेश दिनांक 06.09.2021 के द्वारा याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि याचिकार्थी अपना अभ्यावेदन प्रतिवादी को प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी प्राप्त अभ्यावेदन सकारण एवं स्पीकिंग आदेश जारी करते हुए अभ्यावेदन निस्तारित करें। याचिकार्थी द्वारा की जा रही मांग के सम्बंध में संबंधित अभिलेखीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पदों पर चयन वर्षवार निर्धारित रिक्तियों के प्रति राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थियों की निर्मित पात्रता सूची में से वरिष्ठतानुसार चयन किया जाता है। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है। याचिकार्थी द्वारा संबंधित वरिष्ठता सूची में राजनीति विज्ञान की योग्यता के अंकन के सम्बंध में निर्धारित अवधि में न तो मण्डल स्तर पर एवं न ही राज्य स्तर पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। याचिकार्थी की आज दिनांक तक संबंधित वरिष्ठता सूची में एम.ए. राजनीति विज्ञान की योग्यता दर्ज नहीं है एवं न ही दर्ज करवाने संबंधी कोई आवेदन किया गया है। याचिकार्थी द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज एम.ए. राजनीति विज्ञान की योग्यता के आधार पर पदोन्नति की मांग की जा रही है जो नियमानुसार स्वीकार योग्य नही है क्योंकि प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता का निर्धारण नियमानुसार वरिष्ठता सूची में दर्ज योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। याचिकार्थी द्वारा पूर्व में प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर विभाग द्वारा की गई पदोन्नतियों के समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं याचिकार्थी द्वारा इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी पद पर वर्ष

2015–16 में दी गई पदोन्नति स्वीकार कर ली गई। ऐसी स्थिति में अब याचिकार्थी द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान एवं प्रधानाचार्य पद पर पूर्व चयन वर्षों में डीपीसी से चयनित किया जाकर पदोन्नति देने संबंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं बनती है।

अतः याचिकार्थी द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर चयन वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के प्रति एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन कर पदोन्नति देने संबंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/ओएसी/एसबी सिविल यास–12172/2021 दिनांक 01/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) पाली
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) पाली
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8. प्रधानाचार्य, राउमावि खिंवाडा, पाली (रजिस्टर्ड)
9. संबंधित याचिकार्थी श्री घीसाराम चौधरी (व्याख्याता,अंग्रेजी) राउमावि खिंवाडा, पाली (रजिस्टर्ड)
10. रक्षित पत्रावली

उप–निदेशक(डीपीसी),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर